राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 19(1)साप्र/2/14 जयपुर, दिनांक : 20/6/2014

–: आदेश :–

श्री मनोहर लाल सारवान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मुख्य पुरारसायनवेत्ता, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर को उनकी 'एच' श्रेणी की वरियता संख्या 10/1995 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.6.2033 के आधार पर उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नांकित शर्तों के आधार पर आदेश संख्या प.19(1)साप्र/2/2014 दिनांक 5.6.2014 द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या 6/1, गांधीनगर के रिक्त उपलब्ध नहीं होने से राजकीय आवास संख्या एच–511, गांधीनगर का एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है।

शर्तें :–

1. यह इनका प्रथम आवंटन माना जाएगा।
2. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
3. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
4. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
6. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
7. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
8. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
9. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगीः–
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
    2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवासय के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

इस विभाग के आदेश संख्या प.19(1)साप्र/2/2014 दिनांक 5.6.2014 के द्वारा श्रीमती अनुराधा शर्मा, पत्नी स्व. श्री चौथमल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रभारी अधिकारी, रा. गुरूनानक संस्थान, जयपुर को परिवर्तित/आवंटित राजकीय आवास संख्या एच–511, गांधीनगर का आवंटन क़ब्जा लेने की इच्छुक नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(मुन्नालाल शर्मा) 20/6/14
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर ।
3. मुख्य पुरारसायनवेत्ता, पुरातत्व एवं संग्रहालय, विभाग, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, रा. गुरूनानक संस्थान, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त 6 की पालना को भी अमल में लावें।

7. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
8. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गॉधीनगर, जयपुर।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें।
10. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
11. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
12. रक्षित पत्रावली।

(मुन्नालाल शर्मा)
सहायक शासन सचिव